राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 26.02.2013 को आयोजित 116वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री एस.के. जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (यू.डी.एच.), राजस्थान सरकार श्री जी.एस.सन्धू, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), राजस्थान सरकार श्री डी.बी.गुप्ता, श्री एच.एन.अय्यर, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री जीजी माम्मेन, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री अनिमेष चौहान, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय से उनके उदबोधन हेतु आग्रह किया गया।

श्री एस.के.जैन, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि आज की बैठक में दिसम्बर तिमाही तक प्राप्त प्रगति की समीक्षा की जानी है। वित्त वर्ष की समाप्ति में मात्र एक माह का समय शेष है, अतः हमें विभिन्न पैरामीटर व सरकारी योजनाओं के तहत कार्यनिष्पादन का आंकलन कर जिन क्षेत्रों में लक्ष्य से पीछे है, उस दिशा में विशेष प्रयास किए जावें ताकि चालू वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिसम्बर 2012 को समाप्त तिमाही को राज्य की सभी बैंकों का कुल व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 18.83% की वृद्धि के साथ रूपये 347140 करोड़ रहा। राज्य में कुल जमाएँ रूपये 181153 करोड़ तथा कुल ऋण बकाया शेष रूपयें 165987 करोड़ रहा। सबसे हर्ष का विषय यह है कि राज्य में प्राप्त वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। राज्य में साख-जमा अनुपात उच्च रहते हुए 96% रहा। वार्षिक साख योजना के तहत दिसम्बर 2012 तिमाही तक की उपलब्धि 86% रही, जिससे परिलक्षित है कि बैंक चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।

उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के 43 जिलों में "प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (Direct Benefit Transfer)" योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है जिसके तहत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ का अंतरण सीधा बैंक खातों में किया जाना है। राज्य के तीन जिलों यथा अजमेर, अलवर व उदयपुर को इस योजना के तहत चिन्हित किया गया तथा 01.01.2013 से योजना का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।

जैसाकि वर्ष 2013 में इस योजना का देश के सभी जिलो में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जाना है, अतः बैंकों द्वारा सेवा क्षेत्र के सभी परिवारों व विभिन्न चयनित योजनाओं के लाभार्थियों/परिवारों के बैंक खाते खुलवाने का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जावे ताकि जब

भी अन्य जिलों में योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जावे, जिससे अल्प समयावधि/सूचना पर भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी बैंक पूर्णरूप से तैयार रहे।

उन्होने राज्य सरकार से जिला अधिकारियों तथा विभिन्न योजनाओं के नोडल विभाग को लाभार्थियों की सूची मय पूर्ण विवरण यथा नाम, बैंक खाता संख्या, आधार नम्बर इत्यादि से सम्बन्धित सूचना डिजीटल प्रारूप में तैयार/अद्यतन करने के लिए यथोचित निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही जहाँ कहीं भी लाभार्थियों के बैंक खाते/आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है, वहाँ इस हेतु ग्राम पंचायत, वार्ड अथवा संस्थान स्तर पर कैम्प आयोजित किए जावें जिसमें जिला प्रशासन, बैंक व UIDAI द्वारा सहभागिता की जावे।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत सूचना संचार तकनीक (ICT) मोड्यूल के तहत कॉमन आर.एफ.पी. के तहत चयनित सेवा प्रदाता अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आवंटित गांवों को कवर करने का विकल्प बैंकों को उपलब्ध है। तथापि इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति से परिलक्षित होता है कि नियत समय में अपेक्षित प्रगति हेतु इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है। उन्होने सभी बैंकों से इस हेतु विशेष प्रयास का अनुरोध किया।

उन्होने राज्य में 41 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना पर खुशी जाहिर की तथा अवगत करवाया कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। वित्तीय साक्षरता के अभाव में वित्तीय सेवाओं की मांग उत्पन्न नही होगी। अतः वित्तीय साक्षरता केन्द्र का समुचित उपयोग किया जावे तथा जिले में वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार हेतु नोडल बिन्दु के रूप में तैयार किया जावे। उन्होने यह जान कर प्रसन्नत्ता व्यक़्त की कि नाबार्ड द्वारा 01.01.2013 से 8 एफ.एम. रेडियो चैनल के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए राज्य व्यापि अभियान प्रारम्भ किया गया है। साथ ही राज्य परिवहन की 200 बसों में वित्तीय साक्षरता से सम्बध्य संदेश का प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी बैंक से इस अभियान के तहत सेवा क्षेत्र गांवों/स्कूलों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से भागीदारी हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्य बैंकों से जन साधारण तक सुलभता से बैंकिंग सुविधा पहुंचाने हेतु वित्तीय समावेशन प्रयासो के तहत अन्य वैकल्पिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कॉमन आऊटसोर्स मॉडल के तहत राज्य में बैंकों द्वारा मार्च-2014 तक 3242 कैश डिस्पेंसर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिकांश बैंकों द्वारा DBT के तहत चयनित जिलों में सभी बैंक शाखाओं में ए.टी.एम. स्थापित करने के लिए ऑर्डर जारी किए जाने तथा इसके Operationalization की प्रक्रिया चलाए जाने से सूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा देश के पिछड़े जिलों में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के संवर्धन हेतु चलाए जा रहे पॉयलेट योजना के तहत राज्य के 4 जिलों यथा बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ का

चयन किया गया है, जिनमें चयनित NGOs के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने इन जिलों में उपस्थित बैंक शाखाओं को योजना में सक्रिय सहभागिता हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन पश्चात गतिविधियों, कृषि सम्बद्य अन्य गतिविधियों तथा कृषि क्षेत्र में पूंजीगत आस्तियों के सृजन इत्यादि से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान व ऋण प्रवाह की आवश्यकता बताई, जिससे कृषि क्षेत्र में सावधि ऋण प्रवाह को बढाया जा सके।

अंत में उन्होने चालू वित्त वर्ष के दौरान शेष रहे समय में सभी सरकारी योजनाओं तथा अन्य क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय प्रयास हेतु अनुरोध किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 115 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

(i.) **<u>Setting up of Brick & Mortar Branch/ 6 days Ultra Small Branch in all financial inclusion villages:</u>** 5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित चिन्हित 138 गांवों में से 129 केन्द्रों पर शाखा/6 दिवस वाली लघु बैंकिंग सेवा केन्द्रों (USBs) की स्थापना की जा चुकी है। शेष 9 केन्द्रों पर शाखा/6 दिवस वाली लघु बैंकिंग सेवा केन्द्र (USBs) स्थापना हेतु एस.बी.बी.जे. (4) तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (5) से इस दिशा में त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

(ii.) **<u>Providing necessary support & feedback for preparation of roadmap for implementation of EBT for 32 schemes of the Government and Mapping of beneficiaries with bank accounts:</u>** एस.एल.बी.सी. स्तर से वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी Strategy & Approach for EBT सभी हितधारकों को प्रचालित की जा चुकी है तथा मामले में सभी हितधारकों से प्रत्येक स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।
DBT के तहत चयनित तीनों जिलों में बैंकों द्वारा लाभार्थियों के खाते खोले गये है। विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित नोडल विभाग अथवा सीधे लाभार्थियों से आधार नम्बर की प्राप्ति के साथ ही इन्हें बैंक खातों में अद्यतन कर लिया जावेगा।

(iii.) **<u>Preparation of District wise Financial Service Plan:</u>** सार्वजनिक क्षेत्र के Life व Non-life बिमा कम्पनियों द्वारा सभी 33 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। बीमा कम्पनियों द्वारा बी.सी. को माइक्रों इंश्योरेंस एजेण्ट के रूप में नियुक्त करने का कार्य प्रगति पर है।

(iv.) **Preparation & finalization of Banking Coverage Plan for all villages by DCC:** सदस्य बैंकों से प्राप्त जिलेवार प्लॉन के अनुसार विगत एस.एल.बी.सी. बैठक में Tentative रोड़मेप अनुमोदित किया गया था।

सभी 33 जिलों से डी.सी.सी. द्वारा Vetted रोड़मेप प्राप्त हो चुके है।

(v.) **One Bank Account for each household in rural as well as in urban area:** अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा सभी शहरी क्षेत्र के वार्डों का आवंटन किया जा चुका है तथा खाते खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यवाही पुरे जोर-शोर से चलाई जा रही है।

जनसाधारण को बैंक बचत खाता खोलने में सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्धता हेतु एस.एल.बी.सी. स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा टोल फ्री मंबर, ई-मेल तथा मोबाईल एस.एम.एस. की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

(vi.) **To facilitate banks to create online charges on agriculture land for extending agriculture credit to farmers:** कृषि भूमि रिकोर्ड देखने की सुविधा राज्य सरकार की वेबसाइट www.apnakhata.raj.nic.in पर उपलब्ध है। कृषि भूमि पर बैंक का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है।

(vii.) **Ensure achievement of targets under advances to MSE as per T.K.A. Nair Committee recommendation:** क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित Empowered Committee on MSME में सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र (MSE) के तहत प्रगति की नियमित संवीक्षा की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र (MSE) के तहत वर्तमान में काफी सुधार की आवश्यकता है।

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: राज्य में 31.12.2012 को कुल 5598 बैंक शाखाएँ कार्यरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 263 शाखाओं में से 213 (81%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गई। बैंक शाखाओं के अतिरिक्त दिसम्बर, 2012 को राज्य में कुल 3696 ए.टी.एम. एवं 3175 बी.सी. एजेण्ट कार्यरत है। Common RFP के अन्तर्गत ए.टी.एम. की स्थापना के साथ तिमाही आधार में इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होगी।

जमाएँ व अग्रिम: दिसम्बर, 2012 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 181153 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 165987 करोड़ रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि क्रमशः 17.06% एवं 20.81% रही जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वृद्धि 24.72% रही। वहीं कृषि में 22.01%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 28.53%, अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण में 23.58% दर्ज की गई।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): दिसम्बर, 2012 को राज्य में साख जमा अनुपात 96.05% रहा। जिला स्तर पर 7 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा, वहीं 21 जिलों में यह अनुपात 50%-100% के मध्य पाया गया। जबकि 5 जिलों (डूंगरपुर, प्रतापगढ, राजसमन्द, सिरोही तथा उदयपुर) में यह 50% से कम रहा। संयोजक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि डी.सी.सी. स्तर पर विभिन्न प्रयासों के बावजूद ऋण ग्राही क्षमता पर भौगोलिक परिस्थितियों व आधारभूत कमियों के प्रतिकूल प्रभाव के फलस्वरूप साख जमा अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित नहीं हो सकी है। ऋण ग्राहिता बढाने हेतु बैंक व राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत दिसम्बर, 2012 को वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 86% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 90%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 125%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 46% तथा अल्पावधि कृषि ऋण के तहत 103% की उपलब्धि दर्ज की गई।

विगत एस.एल.बी.सी. बैठक में मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा किए गए अनुरोध अनुसार वार्षिक साख योजना के तहत दिसम्बर, 2012 की प्राप्त प्रगति से सम्बद्ध जिलेवार तथा बैंकवार सूचना का संकलन एजेण्डा नोट में किया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य हेतु सम्भाव्यता लिंक्ड प्लॉन तैयार किया गया है, जिसके तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु कुल रूपये 65904 करोड़ के ऋण प्रवाह प्रस्तावित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2012-13 के निर्धारित लक्ष्यों से लगभग 33% अधिक है। कृषि क्षेत्र के तहत कुल रूपये 49541 करोड़ का ऋण प्रवाह किया जाना प्रस्तावित है, जो विगत वर्ष के लक्ष्य से 36% वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 3:</u>

<u>Opening of Brick & Mortar Branches in FI villages having population 5000 & above in under Bank Dist. & other district (Population 10000):</u> वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अण्डरबैंक जिलों में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांव तथा अन्य जिलों में 10000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सितम्बर, 2012 तक बैंक शाखा/ 6 days Ultra Small Branches (USBs) की स्थापना की जानी थी। राज्य में चयनित 138 केन्द्रों में से 129 केन्दों पर बैंक शाखाएँ/6 कार्य दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र (6 day USBs) की स्थापना की गई है।

शेष 9 केन्द्रों पर बैंक शाखा/6 कार्य दिवस वाली लघु बैंकिग सेवा केन्द्र की शीघ्र स्थापना हेतु एस.बी.बी.जे. (4) एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक (5) से अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: एस.बी.बी.जे. एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक)

Direct Benefit Transfer in 43 Districts: संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लाभ हेतु का सीधा लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण हेतु DBT योजना के क्रियान्विति का निर्णय लिया गया था। इस हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.11.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए तथा राज्य में योजना की क्रियान्विति हेतु चयनित तीनों जिलों (अलवर, अजमेर एवं उदयपुर) में योजना का क्रियान्वयन 01.01.2013 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

योजना आयोग द्वारा Direct Benefit Transfer हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके साथ योजना के क्रियान्वयन से सम्बद्य मूलभूत आंकड़ों/सूचना हेतु माणक प्रारूप उपलब्ध करवाये गये है।

योजना आयोग द्वारा जारी अनुलग्नक "सी" में नोडल विभाग द्वारा तैयार लाभार्थियों के डाटाबेस के अनुसार ही लाभार्थियों के "आधार" नम्बर का बैंक खातों में अद्यतन किया जावे। लाभार्थी द्वारा सीधे बैंक में सम्पर्क करने की स्थिति में भी "आधार" नम्बर की जानकारी बैंक खाते में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा DBT हेतु चयनित जिलों में खोले गए खातों व आधार नम्बर अद्यतन किए जाने की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गई।
संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि तीनों जिलों में लाभार्थियों के बैंक खाते खोले गये है। अलवर जिले में लगभग 75% लाभार्थियों के खातों में आधार नम्बर की Seeding की जा चुकी है। अन्य दोनो जिलों में राज्य पंजीयक (State Registrar) द्वारा लगभग 200-200 मशीने आधार पंजीयन हेतु प्रयुक्त कर Enrollment किया जा रहा है। नोडल विभाग से "आधार" नम्बर की प्राप्ति के साथ ही इन्हें लाभार्थियों के खातों से जोड़ दिया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंक सदस्यों से सेवा क्षेत्र के गावों तथा आवंटित वार्ड में सभी परिवार के बैंक खाते खोलने हेतु शाखाओं की पूर्ण प्रतिबद्धता एवं सक्रिय भागीदारी हेतु अनुरोध किया गया।

Setting up BCAs in the Districts under Direct Cash Transfer: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार Direct Cash Transfer के लिए सभी ग्राम पंचायतों का शाखा/ बी.सी.एजेण्ट/सी.एस.सी. केन्द्रों से मैपिंग किया जाना है। साथ ही सी.एस.सी. (कॉमन सर्विस सेन्टर) को बी.सी.एजेण्ट के रूप में नियुक्त किया जावे।

बी.सी.एजेण्ट के विस्तार हेतु सी.एस.सी. (कॉमस सर्विस सेन्टर) को बी.सी.एजेण्ट के रूप में नियुक्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा CSC e-Government Services India Ltd. (CSC SPV) के साथ

करार (Agreement) किया गया है, जिसकी स्थापना सी.एस.सी. को बी.सी.एजेण्ट के रूप में नियुक्ति की निगरानी तथा प्रबन्धन के विशेष प्रयोजनार्थ हेतु भारत सरकार द्वारा की गई है।

सभी बैंक सदस्यों से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंक शाखा / बी.सी. एजेण्ट की नियुक्ति अथवा कार्यशील कॉमन सर्विस सेन्टर को बी.सी.एजेण्ट के रूप में नियुक्त कर बैंकिंग सेवायें पहुचॉने के कार्य को गति दी जावे।

Sub Service Area Approach (SSA): वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक बैंकिंग आऊटलेट यथा बैंक शाखा/बी.सी.एजेण्ट की नियुक्ति सुनिश्चित की जावे।
इस हेतु Sub Service Area (SSA) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"ग्राम पंचायत में प्रत्येक Sub Service Area के तहत लगभग 1000-1500 परिवारों को सम्मिलित किया जावे।"

"कम जनसंख्या घनत्व अथवा बड़ी ग्राम पंचायत में प्रत्येक बैंकिंग आऊटलेट (बी.सी.ए.) द्वारा कवर किए जाने वाले परिवारों की संख्या यथा एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक बैंकिंग आऊटलेट (बी.सी.ए.) की नियुक्ति का निर्णय बैंक स्तर से लिया जावे।"

"इसी प्रकार पास-पास में स्थित छोटी ग्राम पंचायतों का दायित्व एक बी.सी.ए. को दिया जा सकता है।"

राज्य के सभी 33 जिलों में प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैंकिंग आऊटलेट यथा बैंक शाखा/बी.सी.एजेण्ट/सी.एस.सी. से मैपिंग तथा Sub Service Area (SSA) का निर्धारण फरवरी-2013 तक पूर्ण किया जाना है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी डी.सी.सी. संयोजक बैंक से यह प्रक्रिया यथासमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सभी अग्रणी बैंक प्रबन्धकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं डी.सी.सी. संयोजक बैंक)

Preparation of District Service Area Plan & uploading on District/State website: सभी जिलों हेतु सेवा क्षेत्र प्लॉन (Service Area Plan) के अपलोडिंग का कार्य किया जा चुका है। आधारभूत सूचना यथा ग्राम-पंचायत/गांवों का आवंटन, बी.सी.की.उपस्थिति व नाम, गांवों में विजिट हेतु नामित बैंक अधिकारी की सूचना इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचना अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके लिए एस.एल.बी.सी. के पत्र दिनांक 281.09.12 द्वारा सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं बैंक के नियंत्रक कार्यालय से अनुरोध किया गया।

18 अग्रणी बैंक कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं को जिले की वेबसाइट पर अद्यतन करने से सूचित किया गया है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिलों हेतु सेवा क्षेत्र प्लॉन (Service Area Plan) में बी.सी.एजेण्ट का नाम, फोन नम्बर, FI गाँव मे साप्ताहिक विजिट हेतु नियुक्त बैंक अधिकारी का नाम इत्यादि से सम्बद्य अतिरिक्त सूचना जिले की वेबसाइट पर अपलोडिंग तथा इसे मासिक आधार पर अद्यतन करना सुनिश्चित करने हेतु अग्रणी जिला कार्यालय को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं डी.सी.सी. संयोजक बैंक)

Preparation of District/State Insurance Plan: सभी 33 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। बी.सी.एजेन्ट को बीमा कम्पनी द्वारा माइक्रो एजेण्ट नियुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में बीमा सेवाओं की उपलब्धता हेतु रोड़मेप तैयार करने हेतु नोडल बीमा कम्पनियों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा नोडल बीमा कम्पनियों से शीघ्रातिशीघ्र जिलेवार रोड़मेप तैयार करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं नाबार्ड)

Uploading of GIS data: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक जानकारी GIS Portal पर अपलोड की जा चुकी है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर उपलब्ध /अपलोड की गई सूचना में काफी अन्तर विद्यमान है। इस हेतु सभी सदस्य बैंकों से आवश्यक जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि की सूचना से अग्रणी जिला प्रबन्धकों को सूचित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिला कार्यालय स्तर पर GIS Portal पर अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं डी.सी.सी. संयोजक बैंक)

Roadmap- Provision of banking services in villages with population below 2000: संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य हेतु विभिन्न सदस्य बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य हेतु तैयार Tentative रोड़मेप विगत 115वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में अनुमोदित कर भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करवाया गया था।

Tentative रोड़मेप में सदस्य बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई जिलेवार सूचना को सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों को डी.सी.सी. द्वारा अनुमोदित करवाने हेतु अग्रेषित किया गया था। सभी 33 जिलों हेतु डी.सी.सी. द्वारा अनुमोदित रोड़मेप प्राप्त हो चुके है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Tentative रोड़मेप पर अपने केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तावित कवरेज अन्तर्गत बैंक शाखा के माध्यम से कवरेज की संख्या अत्यन्त कम होने से सूचित किया गया है। साथ ही बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधा के विस्तार के तहत कम से कम 5% केन्द्रों को बैंक शाखाओं के माध्यम से कवर किए जाने हेतु सुझाव दिया गया।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी सदस्य बैंकों से प्रस्तावित रोड़मेप का पुनरावलोकन कर संशोधित रोड़मेप दिनांक 01.04.2013 से पूर्व प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

Urban Financial Inclusion – Launch of campaign to ensure at least one bank account for each family: शहरी क्षेत्र में भी विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे खातों में करने हेतु सभी 33 जिलों के निकायों में वार्ड के आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। सम्बन्धित बैंक शाखाओं को जनगणना आंकड़े/वोटर लिस्ट के माध्यम से सभी परिवारों के खाते खोलने हेतु अभियान चलाने हेतु आवश्यक सूचना/परिपत्र जारी किए गए है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार खाते खोलते समय खाताधारक के बायोमेट्रिक को रिकोर्ड किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान में अभियान के तहत खोले जा रहे खातों में बायोमेट्रिक्स दर्ज नहीं किए जा रहे है।

महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि उनके बैंक द्वारा खोले जा रहे सभी खातों में बायोमेट्रिक्स रिकोर्ड दर्ज किए जा रहे है।

Installation and Managed Services of Cash Dispensers (CDs): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि मार्च 2014 तक 3242 ए.टी.एम. (Cash Dispensers) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होने अवगत करवाया कि वित्त मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार DBT हेतु चयनित जिलों में सभी शाखाओं में ATM स्थापित किए जावें। साथ ही सभी खाताधारक, विशेष तौर पर DBT के तहत चिन्हित लाभार्थियों को ए.टी.एम.(डेबिट कार्ड) जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Extension of Swabhiman: सदन को अवगत करवाया गया कि 1600-2000 जनसंख्या वाले चयनित 2292 गांवों के साथ वित्तीय समावेशन के तहत कुल 6175 (3883+2292) गांव कवर किये जाने है तथा जनवरी, 2013 तक 91 बैंक शाखा व बी.सी./USBs के माध्यम से कुल 4122 गांवों को कवर

किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2557 छोटे गांवों (1600 से कम जनसंख्या वाले) को भी कवर किया जा चुका है।

चयनित गांवों में कुल 14.31 लाख नामांकन किए जा गए है तथा 5.29 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके है। नियुक्त 3175 बी.सी.एजेण्ट की नियुक्ति कर खोले गए खातों में 309502 ट्रांजेक्शन किए जा चुके है।

वर्तमान में छोटे गांवों में भी लगभग 4.50 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके है। DBT के तहत चयनित जिलों में स्वाभिमान विस्तार के तहत अच्छी प्रगति है, अन्य जिलों में इस प्रक्रिया को गति देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 31.03.2013 तक शेष रहे गांवों को कवर किए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि Sub Service Area (SSA) Approach के तहत मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के साथ ही कवरेज को गति मिलेगी।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 4:</u>

Agriculture Credit Flow: वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2012 तक कुल 15.20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 88.34 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके है। दिसम्बर, 2012 को राज्य में कुल सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या 68.45 लाख रही।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा वर्तमान के.सी.सी. धारकों को आगामी फसल तक संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने हेतु अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा मार्च 2013 तक सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को डेबिट सह ए.टी.एम. कार्ड जारी करने का अनुरोध किया गया।

मरूधरा ग्रामीण बैंक प्रतिनिधि द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इस माह में के.सी.सी. खातों में ए.टी.एम. जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी। **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण** बैंक द्वारा इस हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने से सूचित किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, कृषि द्वारा अवगत करवाया गया कि विभाग द्वारा चलाए जाने वाले रबी/खरीफ अभियानों में मुख्यतया कृषि आदान (Input) यथा खाद, बीज इत्यादि के मुद्दों से जुड़ी कार्यवाही की जाती है। इन अभियानों में मुख्यतया कॉपरेटिव बैंक की सहभागिता रहती है तथा किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के मुद्दे को उपयुक्त/यथोचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि एस.एल.बी.सी. स्तर से सभी अग्रणी जिला कार्यालयों इन अभियानों में सहभागिता हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कुल जारी किसान क्रेडिट कार्ड का कृषकों के कवरेज के सम्बन्ध में पुन:मुल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Crop Insurance: सदन को अवगत करवाया कि रबी-2012 मौसम हेतु 29 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा तथा शेष 4 जिलों (टोंक, झुन्झुनु, राजसमन्द व सीकर) में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रमुख शासन सचिव (कृषि) द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा फसल बीमा को ऐच्छिक किए जाने पर विचार किया जा रहा है किन्तु अभी तक इस मुद्दे पर अन्तिम निर्णय किया जाना शेष है।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि विगत राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) बैठक में यह पाया गया कि कुछ जिलों में रबी-2012-13 के दौरान कुल बीमित क्षेत्र कुल बुआई किए गए सूचित क्षेत्र से अधिक पाया गया है। यह स्थिति मुख्यतया चुरू जिले में है।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि विगत वर्ष भी चुरू जिले में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसके लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया था। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष प्रकरण मानते हुए अतिरिक्त सहायता दी गई थी तथा भविष्य़ में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना होने से निर्देशित किया गया था।

उन्होने सभी बैंक सदस्यों से, विशेष तौर पर चुरू जिले हेतु इस मामले में विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया।

उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा PDS, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, छात्रवृतियों को आधारसे जोड़ने का निर्णय लिया गया है। जमाबन्दी को आधार से जोड़ने पर इस प्रकार की समस्याओं को कम किया जा सकता है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा कर्नाटक में चल रहे भूमि प्रोजेक़्त का क्रियान्वयन राजस्थान में भी किए जाने की आवश्यकता जताई।

Scheme for disbursement of loan to eligible farmers /farmer entrepreneurs on establishment of processing units by GoR: माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के बजट घोषणा 2012-13 अनुसार पात्र किसानों/कृषक उद्यमीयों के लिए उद्यानिकी व अन्य फसलों के प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु अनुदान सहायता योजना पर विगत बैठक में चर्चा हेतु सम्मिलित किया गया था। संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंक सदस्यों से योजनान्तर्गत पात्र इकाईयों को ऋण उपलब्ध करवायें जाने

का अनुरोध किया गया।

प्रमुख शासन सचिव (कृषि) ने सदन को अवगत करवाया कि NABCON द्वारा किए गए एक अध्ययन में राज्य में भण्डारण व्यवस्था हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता दर्शाई गई है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व प्राइवेट वेयर हाऊस के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गेहूं के विकेन्द्रीकृत खरीद/संरक्षण हेतु एग्रीबिजनेस-एग्री प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत भी वेयर हाऊस निर्माण/विकास को प्रोत्साहित किया जाना है। वेयर हाऊस निर्माण/विकास हेतु नाबार्ड द्वारा भी अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उन्होने यह भी अवगत करवाया कि राज्य में सिचाई सुविधा के विकास हेतु डिग्गी निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए परियोजना लागत का 50% अथवा अधिकतम रूपये 3.00 लाख (जो भी कम हो) तक का अनुदान दिया जा रहा है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, SC/ST व अन्य छोटे कृषकों को डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष मॉडल पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत नरेगा योजना से Convergence कर लगभग 1.50 लाख का कार्य पूर्ण करवाया जावेगा तथा शेष लगभग 4.50 लाख रूपये पर 50% के अनुसार 2.25 लाख का अनुदान (Backend Subsidy) उपलब्ध करवाया जावेगा।

उन्होने सभी बैंकों को इन योजना के तहत अधिकतम आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जिससे राज्य में सिंचाई व भण्डारण की समुचित सुविधा उपलब्ध हो सके।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल के अनुरूप नई योजना तैयार कर पात्रता अनुरूप ऋण सुविधा दी जावे।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया की ग्रामीण भण्डारण योजना के तहत तैयार गोदामों को केन्द्रीय भण्डारण निगम से अनुमोदन/मान्यता(Accreditation) दी जा रही है। केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा Accredited गोदामों द्वारा जारी वेयर हाऊस रसीद के पेटे ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होने अवगत करवाया कि NABCON वेयर हाऊस के Accreditation हेतु अधिकृत एजेन्सी है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:</u>

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया कि योजना के तहत एकल स्वरोजगारियों के आवंटित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है, किन्तु स्वयं सहायता समूह के तहत अभी भी लक्ष्य से पीछे है।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि आगामी माह की 4 तारीख को विशेष कोर ग्रुप बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, सभी सदस्य बैंकों से लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण व स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही मार्च के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया।

परियोजना निदेशक (SGSY व NRLM) द्वारा सदन को झालावाड़, भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले में योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक होने से सूचित किया गया। साथ ही अनुरोध किया गया कि योजना के तहत राज्य में प्रत्येक वर्ष लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही है, योजना के इस अन्तिम वर्ष भी उपलब्धि पूर्व के अनुरूप रखने हेतु विशेष प्रयास किए जावे।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): परियोजना निदेशक (SJSRY) द्वारा अवगत करवाया गया कि जनवरी-13 तक योजना के तहत राज्य में कुल 5378 प्रकरणों में ऋण स्वीकृतियाँ जारी की गई है, जिनमें से 2558 प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्यवाही की गई है। वहीं वितरित प्रकरणों से परिलक्षित होता है कि राज्य में औसत ऋण लगभग 50000/- रूपये स्वीकृत/वितरित किया जा रहा है, जबकि योजना के तहत रूपये 2.00 लाख तक की परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

उन्होने सदन का ध्यान कम वित्त सहायता की स्थिति से विभिन्न परियोजना की व्यवहारिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा खातों में नियमित वसूली की समस्या उत्पन्न होने की ओर आकर्षित किया। साथ ही इस स्थिति के कारण विभाग को आवंटित अनुदान के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाने से भी सूचित किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि विभिन्न सरकारी योजना के तहत Cut Off date 15.03.2013 लेकर सभी प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावे तथा स्वीकृत प्रकरणों में ऋण वितरण सुनिश्चित किया जावे।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): राज्य निदेशक (KVIC) द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि योजना के तहत 67.37 करोड़ के मार्जिन मनी के लक्ष्य के पेटे 28.08 करोड़ मार्जिन मनी के प्रकरण स्वीकृत किए गए है, वहीं मात्र 12 करोड़ मार्जिन मनी के प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप मार्जिन मनी का उपयोग ना होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित मार्जिन मनी अन्य राज्यों को स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

उन्होने 04.03.2013 को प्रस्तावित बैठक में सदस्य बैंकों द्वारा अधिकतम सम्भावित स्वीकृतियों की स्थिति से अवगत करवाने का अनुरोध किया।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा योजना के तहत आवेदन पत्रों की उपलब्धता एवं जिला अधिकारियों द्वारा की जा रही मार्जिन मनी मांग के अनुरूप लक्ष्यों के पुनःआवंटन हेतु SLBC के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।

सदन द्वारा मामले में आवश्यक सहमति व्यक्त की गई। **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** द्वारा नोडल विभाग (KVIC) तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रतिनिधि से पुनःआवंटित लक्ष्यों से 05.03.2013 तक सूचित किए जाने हेतु आग्रह किया गया।

आर्टिजन क्रेडिट कार्ड (ACC): सदन को अवगत करवाया गया कि योजना के तहत आवंटित लक्ष्यों के पेटे जनवरी-2013 तक 1859 आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य में कुछ ही बैंक सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से आर्टिजन क्रेडिट कार्ड योजना में सहभागिता की जा रही है। उन्होने सभी बैंक सदस्यों से योजना में सहभागिता कर राज्य में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया।

बुनकर क्रेडिट कार्ड (WCC): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि योजना के तहत आवंटित 1500 लक्ष्य के पेटे दिसम्बर, 2012 तक 394 प्रकरणों में स्वीकृतियाँ जारी कर 172 प्रकरणों में ऋण वितरण किया गया है।

नोडल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कोटा जिले में विशेष सहयोग हेतु अनुरोध किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा मामले में पूर्ण जानकारी 2-3 दिन में एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के तहत रूपये 4200/- प्रति बुनकर की दर से अग्रिम मार्जिन मनी उपलब्ध है। सभी सदस्य बैंकों से जारी स्वीकृतियाँ अनुसार मार्जिन मनी दावे नाबार्ड को अग्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

Micro, small and Medium Enterprises (MSME): महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में विशेष चर्चा के बावजूद टी.के.ए. नायर कमेटी द्वारा निर्धारित सभी बैंचमार्क में राज्य काफी पीछे है। सभी सदस्य बैंक से स्व-निर्धारित लक्ष्यों तथा टी.के.ए. नायर कमेटी द्वारा निर्धारित बैंचमार्क की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा आगामी बैठक से **Micro, small and Medium Enterprises (MSME)** के तहत विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाने का प्रयास किए जाने से सूचित किया।

Special Central Assistance Scheme for SC/ST: योजना के तहत दिसम्बर, 2012 तक की प्रगति 40% रही।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा दिनांक 04.03.2013 को प्रस्तावित बैठक में चर्चा हेतु 28.02.2013 तक की अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया।

Self Help Groups (SHG):

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य में 80000 SHG बैंक लिंकेज तथा 25000 SHG क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में SHG कार्यक्रम को बढावा देने हेतु नाबार्ड द्वारा राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है किंतु अभी भी SHG कार्यक्रम में अपेक्षित उपलब्धि परिलक्षित नही हो रही है। SHG बैंक लिंकेज हेतु विगत एस.एल.बी.सी. बैठक में गठित SLBC उप समिति (SHG) की बैठक में SHG कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न प्रारूप तथा ऋण हेतु Common आवेदन पत्र अनुमोदन हेतु रखे गये तथा उक्त अनुमोदित प्रारूपों को नाबार्ड द्वारा बुकलेट (पुस्तिका) के रूप में संकलित कर एस.एल.बी.सी. की बैठक में उक्त पुस्तिका सन्दर्भ हेतु सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई।

भारत के पिछड़े जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन की योजना के तहत चयनित जिलों में योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन चयनित जिलों में डी.सी.सी. द्वारा चयनित NGOs से अभी भी कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा ही अनुबन्ध (MoU) किया गया है। सभी सदस्यों से चयनित जिलों में NGOs से अनुबन्ध (MoU) करने का अनुरोध किया गया, जिससे सम्पूर्ण ब्लॉक को संतृप्त किया जा सके।

इन जिलों में चयनित ब्लॉक हेतु आवंटित 3500 SHGs लक्ष्य के पेटे अब तक 2015 SHGs का गठन किया जा चुका है तथा लगभग 1250 समूहो का बैंक लिंकेज किया जा चुका है।

संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा गठित समूहो की सूचना "साख दर्पण" पर अधतन किये जाने में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नोडल विभाग (ग्रामीण विकास) को शीघ्र समाधान हेतु अनुरोध किया।

परियोजना निदेशक (SGSY) द्वारा इस सम्बन्ध में अधतन सूचनाओं के साथ आगामी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा किये जाने हेतु अवगत कराया गया।

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि दिसम्बर तिमाही के दौरान 23 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक में रूपये 226 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किए गए। राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का स्तर मार्च 2012 को 5.72% था, जो दिसम्बर 2012 को 5.87% हो गया। वहीं चयनित 23 ब्लॉक में मार्च, 2012 के स्तर 32.90% से दिसम्बर, 2012 को 33.37 % हो गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु ब्याज अनुदान योजना का अनुमोदित (संशोधित) विवरण उपलब्ध करवाने हेतु नोडल विभाग से अनुरोध किया। नोडल विभाग के प्रतिनिधि द्वारा आगामी 4-5 दिनों में योजना के विस्तृत विवरण उपलब्ध कराए जाने से सूचित किया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :</u>

Rural Self Employment Training Institute (RSETI): संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य में स्थापित आर-सेटी संस्थानों की रेटिंग में सुधार हेतु आर-सेटी प्रायोजक बैंकों से आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। उन्होने आर-सेटी की भूमि आवंटन के साथ ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किये जाने पर बल दिया जिससे की आर-सेटी संस्थानों की रेटिंग में उत्तरोतर सुधार लाया जा सके।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि आर-सेटी संस्थान को दी जाने वाली सहायता उसकी रेटिंग के अनुसार तय की जाती है। वर्तमान में नाबार्ड द्वारा सिर्फ "ए" रेटिंग वाले संस्थानों को ही सहायता दी जा रही है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा आगामी एस.एल.बी.सी. बैठक में आर-सेटी भवन निर्माण की प्रगति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया। SBBJ द्वारा कुछ जिलो (जैसलमेर, हनुमानगढ़ व बाड़मेर) में आर-सेटी को आवंटित भूमि उपयुक्त ना होने की स्थिति मे भवन निर्माण की प्रक्रिया लम्बित होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। उन्होने नोड़ल विभाग से उपयुक्त भूमि के पुन:आवंटन हेतु अनुरोध किया गया।

Financial Literacy Centers (FLCs): राज्य के सभी 33 जिलों में एफ.एल.सी.सी. की स्थापना की जा चुकी है। उक्त के अलावा राज्य में ग्रामीण बैंकों द्वारा 11 Financial Literacy Center (FLCs) की स्थापना की गई है।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि वित्तीय साक्षरता के तहत Outreach activity हेतु 20 एजेन्सियों का चयन किया गया है, जिनके द्वारा 3000 गॉवों में Outreach कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से Outreach कार्यक्रमों में बैंक शाखाओं को भागीदारी करने हेतु निर्देशित किये जाने हेतु अनुरोध किया। साथ ही सदन को नाबार्ड द्वारा एफ.एम./रेडियों पर प्रसारण तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 200 बसों पर स्लोगन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रचारित- प्रसारित करने के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया।

महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों से वित्तीय साक्षरता हेतु FLCs व ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित किये जाने वाली वित्तीय साक्षरता गतिविधियों / चौपाल इत्यादि की सूचना (RBI द्वारा निर्धारित प्रारूप में) एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>: संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि राज्य में योजना के तहत अच्छी प्रगति है। उन्होने बताया कि **CGTMSE** द्वारा क्रेडिट गारंटी योजना में 10.12.2012 को संशोधन किया गया है, जिसके तहत रू. 50000/- तक ऋण की सुविधा में गारंटी क्लेम हेतु कानूनी कार्यवाही किये जाने की पूर्व निर्धारित शर्त को हटाने व तृतीय पक्ष गारंटी, गारंटी फीस व एन.पी.ए. खातों में गारंटी क्लेम से सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये है।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: सदन को अवगत करवाया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित शिक्षा ऋण खातों के लक्ष्य 65685 के सापेक्ष दिसम्बर, 2012 को कुल बकाया ऋण खातों की संख्या 63778 रही। चालू वित्त वर्ष के दौरान 16793 खातो में रू. 196.61 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। सभी सदस्य बैंकों से वित्त मंत्रालय के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9: Interest Subsidy Scheme for Housing Urban Poor (ISHUP):</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि योजना के वित्त वर्ष 2012-13 में जारी रहने के सम्बन्ध में काफी विलम्ब से (पिछली तिमाही में) नोडल विभाग द्वारा सूचित किया गया। योजना के तहत अब तक 2429 प्रकरणों में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विगत बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ऋण वितरण हेतु विशेष कैम्प आयोजन किये गये किन्तु लाभार्थियों के अपेक्षित सहयोग की अभाव में वांछित प्रगति प्राप्त नही की जा सकी।

राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य में वितरित प्रकरणों में योजना के तहत उपलब्ध अनुदान दावा प्रस्तुत किसी भी बैंक द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा मामले को आगामी कोर ग्रुप बैठक में विचारार्थ रखने से सूचित किया गया व सदस्य बैंकों से वितरित मामलों में शीघ्र अनुदान दावा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्थापित किया गया है, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में रू. 5 लाख तक से आवास ऋण खाते कवर होंगें। उक्त योजना जून 2012 से प्रारम्भ की गई है तथा एक मुश्त 1% राशि का भुगतान करने पर रू. 2 लाख तक के ऋणों पर 90% तथा रू. 2 लाख से 5 लाख तक के ऋण खातों पर 85% गारण्टी कवर प्राप्त है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (UDH) द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह भारत सरकार एवं राज्य सरकार की एक महत्तवपूर्ण योजना है, जिसके तहत राज्य में 10 लाख आवास उपलब्ध करवाये जाने है। अफोर्डेबल आवास के तहत EWS की वार्षिक आय रू. 1 लाख तथा LIG की वार्षिक आय रू. 2 लाख निर्धारित की गई है।

उन्होने सदन को अवगत कराया कि योजना के तहत जोखिम नगण्य है। नोड़ल विभाग द्वारा ऋण भुगतान नही होने की स्थिति में ऋण आस्तियों को Re-allot अथवा विक्रय कर बैंक अदायगी की जायेगी। साथ ही उन्होने बताया कि वर्तमान में मार्जिन राशि अधिक है अतः ऋण राशि बढ़ाने पर विचार किया जाये। उन्होने लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु विशेष कैम्प आयोजित करने तथा पात्रता अनुसार ऋण सीमा बढ़ाने हेतु अनुरोध किया ताकि मार्जिन मनी के GAP को कम कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा नोडल विभाग से कैम्प आयोजन की कार्ययोजना बनाकर सूचित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही रू. 5 लाख के ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी योजना को अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 31.03.2013 तक सभी खातों में ऋण वितरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 10: वसूली:</u> संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा RACO ROD Act के तहत ब्लॉक / जिला अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिससे की रोड़ा एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में वसूली को बढ़ावा मिल सके।

विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उच्च एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए एक सशक्त कानूनी तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता जताई गई।

सदन द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं को PDR एक्ट में सम्मिलित किए जाने हेतु आवश्यक संशोधन हेतु अनुरोध किया गया।

<u>Disaster Management Act 2005 (आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005):</u>

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बैंक द्वारा वित्त पोषित आधारभूत संरचना तथा भवन निर्माण के आपदा प्रबन्धन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किये गये है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को NDMA दिशा-निर्देशों को अंगीकार किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में आपदा प्रबन्धन एक्ट के क्रियांवयन हेतु PWD को नोडल विभाग मनोनित / नियुक्त किया गया है।

सभी सदस्य बैंकों से NDMA दिशा-निर्देशों की पालना एवं क्रियांवयन हेतु अनुरोध किया गया, साथ ही इसका ऋण प्रक्रिया व दस्तावेजीकरण में यथोचित समाहित किये जाने का अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11: SLBC Website:</u> संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंक सदस्यों से तिमाही समाप्ति के 15 कार्य दिवस में आवश्यक सूचना/आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का अनुरोध किया गया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
संयोजक बैंक			
1	श्री एस. के. जैन	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2	श्री अनिमेष चौहान	संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय रिजर्व बैंक			
1	श्री एच.एन. अय्यर	महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री के.बी.वर्मा	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
नाबार्ड			
1	श्री जीजी माम्मेन	मुख्य महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री एस.एस. सिंह	महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि			
1	श्री जी.एस. सन्धू	अतिरिक्त मुख्य सचिव	शहरी विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार
2	श्री डी.बी. गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
3	श्रीमति आरुषी मलिक	निदेशक	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, राजस्थान सरकार
4	श्री अनिल कुमार	निदेशक	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
5	श्री एस.पी.काबरा	उप-सचिव (संस्थागत वित्त)	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
6	श्रीमति रश्मि शर्मा	परियोजना निदेशक (एस.जी..एस.वाई.एवं एन.आर.एल.एम.)	ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7	श्री एस.आर.कटेवा	परियोजना निदेशक (एस.जे.एस.आर.वाई.)	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार
8	श्री एल.सी.जैन	अतिरिक्त निदेशक	उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
9	श्री वी.के.दाधीच	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
10	श्री एम.के.कुमावत	उप निदेशक	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
11	श्री एम.एल.मीणा	मुख्य अभियंता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार
12	श्री राकेश सोनी	कार्यकारी अभियंता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार
13	श्री भोपाल सिंह	महाप्रबन्धक	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम
14	श्री दिनेश अरोड़ा	संयुक्त निदेशक	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
15	श्रीमति शीला चौधरी	उप निदेशक	एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान
16	श्री कुलदीप भारद्वाज	सहायक निदेशक (ओ.एस.)	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
17	श्री आर.सी.अग्रवाल	परियोजना अधिकारी	ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार
18	श्री जे.के.सी. आहुजा	सलाहकार	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
19	श्री आर.ए.शर्मा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि			
1	श्री सुन्दर सिंह नेगी	महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2	श्री एस.के.मदान	महाप्रबन्धक	पंजाब नेशानल बैंक
3	श्री ललित कुमार	महाप्रबन्धक	राष्ट्रीय आवास बैंक
4	डॉ. एम.एस.फोगाट	अध्यक्ष	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5	श्री समीर वाजपेयी	अध्यक्ष	e-RGB (राजस्थान ग्रामीण बैंक)
6	श्री यू.सी.अग्रवाल	अध्यक्ष	मेवाड़ आँचलिक ग्रामीण बैंक
7	श्री जे.के.पात्रा	अध्यक्ष	e-JTGB (जयपुर थार ग्रामीण बैंक)
8	श्री एस.एस. शर्मा	महाप्रबन्धक	मरूधरा ग्रामीण बैंक
9	श्री एस.पी.हरिताश	उप महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
10	श्री एस.पी.सिंह	उप महाप्रबन्धक	युको बैंक
11	श्री शम्मी कपलश	उप महाप्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
12	श्री पी.के. गर्ग	उप महाप्रबन्धक	इंडियन ऑवरसीज बैंक

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
13	श्री नवलीन कुन्द्रा	उप महाप्रबन्धक	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
14	श्री एम.एल.जैन	उप महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, जयपुर
15	श्री आर.के.गुप्ता	उप महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
16	श्री ए.पी.सिंह	उप महाप्रबन्धक	विजया बैंक
17	श्री फरीद अहमद	उप महाप्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
18	श्री पी.आर.मुर्ती	उप महाप्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक
19	श्री हेमन्त कुमार	उप महाप्रबन्धक	केनरा बैंक
20	श्री के.एल.मेहता	उप महाप्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
21	श्री सी.एल.भावल	उप महाप्रबन्धक	सिडबी
22	श्री शकील अहमद	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक
23	श्री प्रवीण कुमार	सहायक महाप्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
24	श्री मेघराज जैन	उप महाप्रबन्धक	आई.डी.बी.आई. बैंक
25	श्री माधो राम	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
26	श्री सुयश	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
27	श्री के.राममोहन	सहायक महाप्रबन्धक	आन्ध्रा बैंक
28	श्री एन.के.जैन	सहायक महाप्रबन्धक	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
29	श्री एस.के. वैश्य	सहायक महाप्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
30	श्री अजय कुमार	सहायक महाप्रबन्धक	इंडियन बैंक
31	श्री एम.एल. रोहिल्ला	सहायक महाप्रबन्धक	देना बैंक
32	श्री पी.के.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेन्कोर
33	श्री एस.के. जैन	उप महाप्रबन्धक	राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक
34	श्री सुभाष कुरूप	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
35	श्री सत्येन मोदी	उपाध्यक्ष	एच.डी.एफ.सी. बैंक

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
36	श्री एन.एस. राठौड़	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ इंडिया
37	श्री बी.सी. जैन	वरिष्ठ प्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
38	श्री पंकज	वरिष्ठ प्रबन्धक	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
39	श्री अनिल कासलीवाल	वरिष्ठ प्रबन्धक	पंजाब नेशनल बैंक
40	सुश्री पारूल शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक	एच.डी.एफ.सी. बैंक
41	श्री डी.के.सोनी	वरिष्ठ प्रबन्धक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
42	श्री सन्दीप कुमार	एग्री बिजनेस हेड	एक्सिस बैंक
43	श्री एस.मिश्रा	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
44	श्री राहुल दुबे	वरिष्ठ प्रबन्धक	इंडियन ऑवरसीज बैंक
45	श्री वी.टी.जॉन	वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक	कर्नाटका बैंक
46	श्री विक्रम बंशवाल	सहायक प्रबन्धक	कैथोलिक सिरियन बैंक
47	श्री अमित जैन	प्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
48	श्री अमित कुमार राठी	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
49	श्री विनोद एम.	मुख्य प्रबन्धक	फैडरल बैंक
50	श्री किशोरी लाल	प्रबन्धक	ऑरियण्टल इंश्योरेंस क. लिमिटेड
51	सुश्री फेनिशा सराफ्	सहायक प्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
52	श्री अनुराग माहेश्वरी	वरिष्ठ प्रबन्धक	साऊथ इंडियन बैंक
53	श्री हरिन्दर सिंह	अधिकारी	पंजाब एण्ड सिध बैंक
54	श्री के.पाराशर	उप-प्रबन्धक	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी
55	श्री शमीन लाला	सहायक लेखाधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर